

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

एवं आदेश की तिथि

9

अपर समाहर्ता, न्यायालय साहेबगंज
R.M.A वाद सं०-21/2018-19

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
३

२

7/11/22

मकसुद आलम - प्रथम पक्ष
बनाम्
ईरसाद आलम - द्वितीय पक्ष

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा R.E Case No. 06/2013-14 में दिनांक-01.02.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम पक्ष द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में वाद दायर किया गया। जिसकी अभिलेख खोलकर वाद की सुनवाई R.M.A 06/2016-17 के तहत दिनांक-30.07.2016 से प्रारंभ की गई। दिनांक-20.08.2018 को उपरोक्त वाद उपायुक्त साहेबगंज द्वारा अपर उपायुक्त के न्यायालय में स्थानांतरित की गई। अपर उपायुक्त के न्यायालय में R.M.A वाद सं० 21/2018-19 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस वाद में सुनवाई दिनांक-20.04.2022 से प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर०ई० वाद सं० 06/2013-14 के आदेश दिनांक - 01.02.2016 के अनुसार विवादित भूमि का विवरण।

मौजा	ज०न०	दाग नं०	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
मनसा चंडी	31	791	18 कट्ठा	युसुफ सेख	कमरूल सेख	संथाल का जमीन	मकसुद आलम

मौजा - मनसाचंडी, दाग नं० - 791, रकवा - 04 बीघा 10 कट्ठा जमीन विभूमि भूषण साहा से दिलसाद आलम ने निबंधित केवाला से क्रय कर प्राप्त किया गया है, तत्पश्चात् उक्त 04 बीघा 10 कट्ठा जमीन में सं 18 कट्ठा जमीन मेराजूल शेख ने निबंधन केवाला के द्वारा क्रय कर दखल कार हुए तथा दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान दिये मेराजूल सेख ने अपना उक्त 18 कट्ठा जमीन को निबंधित केवाला सं० 172/दिनांक - 11.01.2013 के द्वारा आवेदक के पास बिक्री किये तत्पश्चात् आवेदक के दखल में उक्त जमीन आया। विपक्षी ने भी उसी दाग की जमीन को क्रय कर आवेदक की जमीन को जबरन दखल कर लिया है।

अतएव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियत की धारा 42 के अधीन उच्छेद करने का प्रार्थना किया है।

LCR में लगे वाद सं०-06/13-14 अनुमंडल पदाधिकारी के अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन का

RM

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी के बिक्रय केवाला सं० - 2370/दिनांक - 08-03-59 में उल्लेखित भूमि का संबंध प्रश्नगत भूमि से नहीं है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने Note of Agrument में SPT Act की धारा 20 का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार According to Section 20 of Santhal Paragana Tennacy Act No Transfer by a Raiyat of his Right in his holding or any Portion. There of by sale, gift, mortgage will lease or any other contract or agreement, express or eimplied shall be Valid unless the Right to transfer has been recorded in record of Right and Then only to the Extent to which such right is so recorded.

परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा भी दो अलग-अलग Register Deed के माध्यम से कुल 7 बीघा 19 कट्ठा, 01 धुर जमीन खरीदी गई है। इसलिए SPT की धारा 20 न तो प्रथम पक्ष और न ही द्वितिय पक्ष पर लागू होती है।

— मौजा मनसा चंडी की भूमि विक्रयशील है, जिसका निबंधन कार्यालय में Circle Rate निर्धारित है जिसके आधार पर जमीन की खरीद विक्री होती है।

— प्रथम पक्ष द्वारा Original रैयत विभूति भूषण साहा से मनसा चंडी मौजा अंतर्गत दाग नं०-701, कुल रकवा 12 बीघ 9 कट्ठा 1 धुर जमीन में से Deed सं० 2310 दिनांक-08.03.1959 के द्वारा 4 बिघा 10 धुर जमीन खरीदा है।

(1) मूल रैयत विभूति भूषण साहा के द्वारा Sale Deed No 2376 Year 1959 के द्वारा 3 बिघा 9 कट्ठा, 1 धूर जमीन बीबी जोहरा खातुन को बेच दिया। पुनः बीबी जोहरा खातुन के द्वारा Deed No 5222/Dated- 05.09-91 के द्वारा Registered Gift Deed के द्वारा अपीलार्थी एवं उनके भाइयों को बेच दिया। इस प्रकार अपीलार्थी के पास जमाबन्दी सं० 31 दाग नं०-791 में कुल 7 बीघा 19 कट्ठा और 1 धुर जमीन प्राप्त हुआ है।

(1) विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Note of Arguement के द्वारा बतलाया गया कि मौजा मनसाचंडी के दाग नं०-791 में से 4 बिघा 10 कट्ठा भूमि Sale Deed No.2371 Dated-08.03.1959 को मूल रैयत विभूति

भूषण साहा से दिलसाद आलम के द्वारा खरीदा गया तथा उसकी दाखिल खारिज कराकर जमाबन्दी कायम की गई।

(1) दिलसाद आलम ने अपनी खरीदगी जमीन से 18 कट्टा जमीन मेराजूल शेख को निबंधित केवाला सं० 74 दिनांक-28.12.2010 के द्वारा विक्री किया तथा खरीददार मेराजूल शेख ने दाखिल खारिज कर जमाबन्दी कायम करा दी गई है।

(1) मेराजूल शेख ने उक्त 18 कट्टा जमीन को Sale Deed No 172 दिनांक-11.01.2013 के द्वारा विपक्षी ईरसाद आलम के नाम बेच दिया और विपक्षी के द्वारा उक्त जमीन की जमाबन्दी भी अंचल अधिकारी, उधवा से करा ली है।

दोनों पक्षों के द्वारा निबंधित दस्तावेज से भूमि प्राप्त की गई है। प्रतिवादी का कथन कि वादी द्वारा उनके 18 कट्टा जमीन को अपने-कब्जे में रखा है और Eviction Deed SDO Court में दायर किया।

— अंचल अधिकारी उधवा द्वारा विवादित भूमि की मापी अंचल अमीन से कराई गई है। अंचल अमीन के प्रतिवेदनानुसार प्रतिवादी का दाग नं०-791 भूमि का 17 कट्टा 18 धूर जमीन वादी महमुद आलम के द्वारा दखल कब्जा कर अपना जमीन के साथ मिला लिया है। जिसे मुक्त कराने हेतु प्रतिवादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में Eviction Suit दायर किया गया।

अभिलेख एवं निर्गत आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के दलील को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा निर्गत आदेश उचित है। वादी द्वारा किये गए दावे को खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
साहेबगंज।


अपर समाहर्ता,
साहेबगंज।